विशेष प्रावधान

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक आधार को सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग की मौजूदा योजनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं:–

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल): केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में आदिवासी भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुसंधान, जनशक्ति विकास और सामग्री निर्माण के माध्यम से भारतीय भाषाओं के विकास की एक योजना पर काम कर रहा है। संस्थान ने 90 आदिवासी और सीमावर्ती भाषाओं में काम किया है।

राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजनाः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तथा माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति की योजना क्रमशः 1961–62 और 1071–72 से कार्यान्वित की जा रही हैं। इन दोनों योजनाओं को मिला दिया गया है और राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना नामक एक नई योजना 2005–06 से संशोधित प्रावधानों सहित कार्यान्वित किए जाने हेतु तैयार की गई है। राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों की सहायता करना और उन्हें राज्य–वार योग्यता आधार पर मैट्रिकोत्तर स्तर पर मान्यता और वित्तीय सहायता देकर अध्ययन में शैक्षणिक दृष्टि से आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करना और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्गों के छात्रों में से कक्षा नौ से लेकर कक्षा दस तक के प्रतिभावान और योग्य छात्रों को अलग से इसी प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं। छात्रवृत्ति की संशोधित दरें शिक्षा के स्तर और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 250 रू. से लेकर 750 रू. तक के बीच अलग–अलग हैं। यह योजना अप्रैल 2007 से बंद कर दी गई है। तथापि कालेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की एक नई केंद्रीय योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालयः नूपा का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का शैक्षणिक विकास है। यह अध्ययन, सेमिनार, सम्मेलन आदि आयोजित करता है और चल रहे/वर्तमान शैक्षणिक कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करता है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं को कवर करता है। यह शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सामग्री भी तैयार करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः यू.जी.सी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को यू.जी.सी./एस.आईआर. द्वारा ली जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हेतु तैयार करने के लिए अकादमिक कौशल और भाषायी प्रवीणता में सुधार की दृष्टि से उपचारी कोचिंग योजना चलाता है।

- यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालयों/कालेजों, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक और तकनीकी शैक्षिक संस्थानों में शिक्षण तथा शिक्षणोतर पदों, दोनों में भर्ती, दाखिले, छात्रावास आदि के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत का आरक्षण किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बद्ध राज्य सरकारों की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर मार्गनिर्देश जारी करता रहा है।

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के अलावा दाखिले के संबंध में न्यूनतम अर्हता अंकों में भी ढील दी जाती है।

- यू.जी.सी. स्नातकों के लिए दिशा अनुकूलन का कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है जिसमें आमतौर पर मजदूरी क्षेत्र में और विशेष रूप से स्वरोजगार में लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए सभी के पास जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी शामिल हैं।

- आयोग विस्तार क्रियाकलापों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- आयोग ने पात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए एक केन्द्रीय पूल डाटाबेस तैयार किया है और वह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निर्धारित आरक्षण कोटा भरने के निमित्त अध्यापन पदों पर उनकी उम्मीदवारी की सिफारिश करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सेलः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भर्ती, शैक्षिक और गैर-शैक्षिक पदों की भर्ती, स्टाफ क्वार्टरों/छात्रावासों, अध्येतावृत्तियों आदि में अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालयों को विशेष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सेल की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करता

है। अब तक विश्वविद्यालयों जिनमें मानद विश्वविद्यालय शामिल हैं, में 123 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल स्थापित किए जा चुके हैं।

- केन्द्रीय/मानद विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने हेतु आयोग ने सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में मॉनीटरन समिति गठित की है।

- आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के निष्पादन की समीक्षा करने और मामलों पर आयोग को सुझाव देने के लिए अनूसूचित जाति और अनुसूचित संबंधी स्थायी समिति है।

इंजीनियरिंग कॉलेजः केन्द्र सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थान जिनमें आई. आई.टी., आई.आई.एम., क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज आदि शामिल हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए भर्ती में क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान रखते हैं। आरक्षण के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के दाखिले के मामले में न्यूनतम अर्हक अंकों में छूट भी दी जाती हैं। छात्रावासों में भी सीटों का आरक्षण किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा संचालित संस्थानों में आरक्षण का प्रतिशत राज्य सरकार की नीति के अनुसार घट–बढ़ सकता है।

आई.आई.टी. द्वारा लिए जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैंः

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण। आई.आई.टी. दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए 50 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 22 सीटें उपलब्ध हैं।

- अर्हता मानकों में छूट।

- आवेदन पत्रों की घटी हुई लागत।

- काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एकल द्वितीय श्रेणी रेल किराया दिया जाता है।

- आई.आई.टी.–बी.एच.यू. में दाखिल सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ट्यूशन फीस के भुगतान से छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त, सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को अभिभावक आय के मानदंडों की पूर्ति के अधीन निःशुल्क मैस और 70/– रू. प्रतिमाह का जेब खर्च दिया जाता है। पुस्तक बैंक की विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ आई.आई.टी. में अनन्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए विशेष पुस्तक बैंक हैं।

सामुदायिक पॉलिटेक्निकः सामुदायिक पॉलिटेक्निक की योजना चुनिंदा डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में 1978–79 से जारी है। यह समुचित प्रौद्योगिकी का ग्रामीण समुदाय/स्थानीय समुदायों में हस्तांतरण हेतु मंच प्रदान करती है। ग्रामीण युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, स्कूल बाह्य बच्चों और अन्य लाभवंचित समूहों को प्रशिक्षण में वरीयता दी जाती है और उन्हें आवश्यकता आधारित सफल रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कौशलोन्मुखी अनौपचारिक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और तकनीक सहायता सेवाओं के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है।